कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार विरासत विकास समिति
बुद्धमार्ग, पटना संग्रहालय के उत्तर, पटना– 800 001
दूरभाष–0612–2508445

# निविदा

बिहार विरासत विकास समिति, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन सोसायटी के रूप में गठित विरासत के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। बिहार विरासत विकास समिति, पटना के परिसर, भवन के अंदर शौचालय की सफाई तथा परिसर में भवन आदि की समूचित सफाई तथा उद्यानों की फूल–पौधों (स्थायी/अस्थायी) से सुसज्जित एवं सौंदर्यीकरण कार्य के निमित्त निबंधित एवं प्रतिष्ठित इच्छुक प्रतिष्ठानों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा निबंधित डाक से प्राप्त करने की अंतिम तिथि–07.07.2025 है। निविदा हेतु विस्तृत जानकारी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/yac पर देखा जा सकता है।

12.6.25

उप कार्यपालक निदेशक
बिहार विरासत विकास समिति

**बिहार सरकार**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

**बिहार विरासत विकास समिति**

पटना संग्रहालय के उत्तर, बुद्धमार्ग, पटना–800001

**निविदा आमंत्रण सूचना**

पटना, दिनांक–

बिहार विरासत विकास समिति, पटना के परिसर, भवन के अन्दर शौचालयों की सफाई तथा परिसर में भवन आदि की समुचित सफाई तथा उद्यानों की फूल पौधों (स्थायी/अस्थायी) से सुसज्जित एवं सौन्दर्यीकरण कार्य के निमित्त निबंधित एवं प्रतिष्ठित इच्छुक प्रतिष्ठानों से निम्नांकित शर्तानुसार मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :–

**शर्तें :–**

(1) संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए रहेगी। किन्तु कार्य के असंतोषजनक/संतोषजनक रहने के आधार पर यह अवधि घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

(2) इस कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफे में प्राप्त किया जायेगा।

(3) तकनीकी निविदा के साथ प्रतिष्ठान का "बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेन्ट एक्ट, 1953" के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र 10 हजार रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, पटना के नाम से देय होगा, आयकर प्रमाण–पत्र कम से कम तीन साल का होना चाहिए, किसी तीन सरकारी प्रतिष्ठानों में किये गये कार्य का कुशलता प्रमाण पत्र, कार्ययोजना प्रतिवेदन एवं विविध कार्य विवरण हो, एवं इस आशय का शपथ पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी साक्ष्य वैध हैं, संलग्न करना होगा।

(4) तकनीकी निविदा में उपलब्ध कराये जाने वाले कार्यबल (तीन श्रमिक) का पूरा विवरण एवं उनके पहचान पत्र की छाया प्रति देना होगा।

(5) आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी। इसी आधार पर निविदा आमंत्रित की जायेगी।

(6) किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 लाख रूपये के कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।

(7) तीन वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ–साथ कार्य संतुष्टि का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(8) वित्तीय निविदा की दर दी गई फार्मेट में होना चाहिए।

(9) चयनित प्रतिष्ठान पर श्रम नियमों एवं कानूनों के अन्तर्गत कार्य करवाने की पूरी जिम्मेवारी होगी।

(10) जी.एस.टी. कर प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, श्रम विभाग से कराए गए निबंधन, ई.पी.एफ. खाता खोलवाने आदि की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(11) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनत्तम श्रम शुल्क के आधार पर वित्तीय निविदा हो।

(12) यह निविदा दिनांक– 7 जुलाई 2025 के अपराह्न 2 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में प्राप्त किया जायेगा।

(13) यह निविदा दिनांक– 7 जुलाई 2025 के अपराह्न 3 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भी भाग ले सकेंगे।

(14) प्राप्त निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी को निहित होगी।

(15) प्रतिष्ठित एवं निबंधित प्रतिष्ठान का ही निविदा मान्य होगा।

(16) निविदा में सफल होने वाले एजेन्सी, कार्य पर रखने वाले कर्मियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

**कार्य :–**

(क) समिति परिसर एवं भवन के अन्दरूनी एवं बाहरी हिस्से एवं पहुँच पथ की सफाई।

(ख) बागवानी, उद्यान का रख–रखाव एवं गमले में पौधे लगाना तथा उसे सुसज्जित एवं सुशोभित करना।

(ग) सारे परिसर में जंगली घास को काटकर हटाना।

(घ) यथावश्यक क्यारी/फ्लावर बेड का निर्माण तथा उद्यान की जुताई एवं समतलीकरण का कार्य करना।

(ड़) समयानुसार मौसमी फूलो की व्यवस्था करना।

(च) 100 पीस गमला में पौधों की देख–रेख यथा मिट्टी, खाद्य, दवा आदि की व्यवस्था करना एवं समय–समय पर गमला की रंगाई पोताई

(छ) पौधा एवं पेड़ों पर समयानुसार दवा का छिड़काव करना।

(ज) गोबर खाद्य एवं कृत्रिम खाद्य की व्यवस्था, सिचाई तथा बागवानी करना।

(झ) सफाई संबंधित सभी अन्य कार्यों का सम्पादन

(ञ) कार्य बीच में छोड़ने पर जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।

**कार्य हेतु व्यवस्था :–**

√ विरासत समिति कार्यालय के भवन में स्थित शौचालयों की सफाई दिन में कम से कम एक बार करनी होगी।

√ श्रमिकों की संख्या तीन होगी, जिसमें 2 सफाईकर्मी (अकुशल) एवं 1 माली (अर्द्धकुशल) होंगे। श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है।

√ विशेष सफाई अभियान विभिन्न अवसरों पर तथा मौसम परिवर्तन में भी विशेष सफाई अभियान करना होगा।

√ समय–समय पर मच्छर इत्यादि कीटों के लिये आवश्यक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना होगा।

√ शौचालय में नियमित रूप से साबुन/पाउडर/लिक्विड शॉप, फिनाईल की गोली और केक की व्यवस्था करनी होगी।

√ परिसर के साफ–सफाई के लिए झाडू एवं घास काटने के लिए मशीन आदि अन्य उपयोगी समान की व्यवस्था करनी होगी।

√ विरासत भवन के सफाई निरीक्षक प्रभारी से प्रत्येक सप्ताह सत्यापित कराना आवश्यक होगा कि उस सप्ताह का उनका कार्य संतोषजनक है।

√ निविदादाता को सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण की सूची संख्या के साथ निविदा में अंकित करनी होगी। उक्त उपस्कर निविदादाता स्वयं व्यवस्था करेगें। इसके तथा अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

**कार्य का भुगतान :–** प्रति सप्ताह का कार्य संपादन प्रमाण–पत्र संतोषजनक स्थिति में होने पर ही माह के समाप्ति के बाद भुगतान किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो कार्य संतुष्टि का प्रतिशत अंकन करके ही भुगतान किया जायेगा।

**अनुशासन :–** निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रम शक्ति को समिति के अनुशासन का पालन करना होगा। कार्य गुणवत्तापूर्ण करना होगा। अंसतोषजनक कार्य पाए जाने पर एजेन्सी को आर्थिक दंड अधिरोपित किया जायेगा। सभी कर्मी कम्पनी के अथवा समिति द्वारा निर्धारित वर्दी में परिचय पत्र के साथ ड्यूटी में रहेंगे।

**अनुबंध :–**

1. चयनित प्रतिष्ठान एवं बिहार विरासत विकास समिति के बीच एकरारनामा किया जायेगा। तद्नुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व विशेष जानकारी अथवा कार्य प्रकृति एवं परिसर का निरीक्षण/अवलोकन करने हेतु कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समित के दूरभाष संख्या–0612–2508445 बुद्धमार्ग, पटना से संपर्क कर सकते है।
2. चयनित निविदादाता को अपने द्वारा प्रतिमाह अंकित शुल्क का दो महीने की राशि जमानत राशि के रूप में ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी के रूप में देना होगा।

12.6.15

**उप कार्यपालक निदेशक**

बिहार विरासत विकास समिति

**वित्तीय निविदा (बागवानी)**

| क्र. सं. | मानव बल | मात्रा | न्यूनतम मजदूरी | अंकित दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | अर्द्धकुशल माली तथा अकुशल श्रमिक | | | | |
| B. | E.P.F. (नियोक्ता अंशदान) | | | | |
| C. | E.S.I. (नियोक्ता अंशदान) | | | | |
| D. | अन्य खर्च (सामग्री आपूर्ति एवं मशीनों के रख–रखाव) | | | | |
| E. | सेवा शुल्क | | | | |
| F. | कुल योग (GST एवं Labour Cess रहित) | | | | |
| G. | GST+Labour Cess | | | | |
| H. | कुल राशि (प्रति दिन) | | | | |
| I. | कुल राशि (मासिक) | | | | |
| J. | कुल राशि (वार्षिक) | | | | |

12.6.23